Order sheet [Contd]

case No- MJC R-23/2018 Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer Pleaders where necessayry राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघेल ए०जी०पी० उपस्थित। 14-05-18 अनावेदक थाना प्रभारी मालनपुर स्वयं उपस्थित। थाना प्रभारी मालनपुर की ओर से अपर लोक अभियोजन के माध्यम से लिखित में स्पटीकरण पेश करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण के अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में न्यायालय पेश किया जा चुका है तथा थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अन्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायालयीन कार्य में ह्ये विलम्ब के लिये क्षमा किये जाने की प्रार्थना की गयी। आरोपी मुकेश को इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः थाना प्रभारी पुलिस थाना मालनपुर का लिखित में जवाब तथा मौखिक निवेदन उचित एवं संतोषप्रद होने से स्वीकृत करते हुये उसके विरूद्ध संचालित एम०जे०सी० प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे। (एच.के. कौशिक) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड WITHOUT PRICION SUNTAIN

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
Wild to	SILANIST SUNTA TO THE SUNTA THE SUNTA TO THE	
(SILE		A
	To A Telly Man	
	AN ENFORMAN	
राज्य द्वारा श्री बीत)एस0 बघेल ए०जी०पी० उपस्थित। अनावेदक थाना प्रभारी मालनपुर स्वयं उपस्थित।	

	(A)	
Order or proceeding with signature	of Presiding Officer	

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

थाना प्रभारी मालनपुर की ओर से अपर लोक अभियोजन के माध्यम से लिखित में स्पटीकरण पेश करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण के अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में न्यायालय पेश किया जा चुका है तथा थाना प्रभारी मालनपुर के द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से अन्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायालयीन कार्य में हुये विलम्ब के लिये क्षमा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

आरोपी मुकेश को इस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः थाना प्रभारी पुलिस थाना मालनपुर का लिखित में जवाब तथा मौखिक निवेदन उचित एवं संतोषप्रद होने से स्वीकृत करते हुये उसके विरुद्ध संचालित एम0जे0सी0 प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

